न्यायालय श्री मान् राजस्व मन्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

निगरानी प्रकरण क्र० /07

1885-II/07

5 RS. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

बालमीक प्रसाद गुप्त तनय जगदीश प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम मनगवां

तहसील सिरमौर, जिला रीवाम०प्र० ---- आवेदक/ निगरानीकर्ता

वनाम

बाल कुमार तनय श्यामलाल गुप्ता निवासीमनगवां, तहसील सिरमौर

जिला रीवाम०प्र० -------- प्रत्यर्थी/ अनावेदक

निगरानीविरुद्ध आदेश दिनांक 1-3-07

प्रकरण क्रमांक 461/ निगरानी/95-96

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व

संहिता सन 1959ई०

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 80 मे रामभजन से विवादित भूमि व मय कच्चा मकान व उसके पीछे की खालीभूमि खरीदी गई थी, जिस पर तहसील मे प्रकरण चला व प्रकरण क्र०10ए70 वर्ष 94-95 अतिरिक्त तहसीलदार गगेव द्वारा पटवारी हल्कामनगवा 97 मे खरीद शुदा भूमि व माकान चक आवादी खसरा नं० 86 रकवा9-82ए० मेसे खरीदा था, विक्रयपत्र मे चौहद्दी दर्ज है,और पटवारी हल्का नेनिगरानीकर्ता केपुत्र शंकरराम पिता वालमीक के हक व कब्जे मे मानने का प्रतिवेदन मेव विक्रय के साक्षीरामलाल,रामकृपाल रामावतार ने प्रदर्शी1 विक्रय कोसावित किया है और विना आपत्ति केविक्रय के उक्त विक्रयपत्र प्रदर्शित होचुका है,

पी०सिंह ए०
18-5-07 को प्रस्तुत
अवर सचिव
राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर
18/5/07

Adv. 18.5.07
पी० सिंह
एडवोकेट
कोर्ट मध्य प्रदेश ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 865– दो/07 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकादि के हस्ताक्षर
24–5–16	आवेदक के अधिवक्ता श्री दुष्यंत कुमार सिंह द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 461/निगरानी/95–96 में पारित आदेश दिनांक 1.3.07 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया कि मनगंवा वार्ड कमांक–7 में अनावेदक किराना की दुकान करता है तथा वर्ष 1980 में कच्चा मकान व खाली भूमि कय किया है जिसमें आवेदक अवैध निर्माण कर रहा है। जिसे बंद कराया जाय। जिस पर नायव तहसीलदार गंगेव ने आवेदन पत्र को दिनांक 8.1.96 को निरस्त किया जिससे परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिरमौर जिला सतना के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.8.96 द्वारा निरस्त कर प्रकरण नायब तहसीलदार को समस्त बिन्दुओ की जांच हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । इससे दुखी होकर	

अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 1.3.07 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई, इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने। तथा मेरे द्वारा अधिनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया।

4- मेरे द्वारा मुख्य रूप से अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के आदेश का बारीकी से अध्ययन किया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा बताया गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण करने के पश्चात बताया गया है कि अनावेदक का कब्जा नहीं है। पंचनामा आदि देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने यह माना है कि यह मकान रिहायसी नहीं है इसका उपयोग नमक के बोरे एवं अन्य सामान रखने के लिये उपयोग किया जाता है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि विक्रय पत्र में चौहददी दी गई जिससे विवादित भूमि किसके पक्ष में हो सकती है यह स्पष्ट नहीं है, अतः इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है वह हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये

पुनः सीमांकन की कार्यवाही कर आदेश पारित करें। उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य